

3. In the said rules, in the Schedule,-

(a) against serial number 1, relating to the post of Junior Hindi Translator,-

(i) In column (4) for the column heading and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix.  
(4)  
Level-6 (Rs. 35400-112400/-).";

(ii) in column (10), for the words, figures, bracket and letters " the scale of pay of pay band-1, (Rs. 5200-20200) with grade pay of 2800" the words, figures bracket and letters, " level -5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300/-)" shall be substituted;

(b) against serial number 2, relating to the post of Senior Hindi Translator,-

(i) In column (4) for the column heading and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix.  
(4)  
Level-7 (Rs. 44900-142400/-).";

(ii) in column (11), for the letters, figures, letters and words " PB 2 of Rs 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4200/-", the words, figures, bracket and letters, " level -6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400/-)" shall be substituted;

(iii) 'Note:- 2 'shall be omitted.

[No. 49/4/2016-S&D/PF-EW. I]

I. M. KHAN, Under Secy.

**Note:-** The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 164 (E), dated the 1st March, 2013.

### स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2019

**सा.का.नि.263.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सफाई अधीक्षक, समूह -'ग', सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, भर्ती नियम, 1986 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में सफाई अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, सफाई अधीक्षक, (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2019 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता :** वह व्यक्ति—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।**6. व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।**अनुसूची**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सफाई अधीक्षक	02* (2019)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5 (29200-92300 रुपये)	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	<b>भर्ती की पद्धति :</b> भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले सफदरजंग अस्पताल के सफाई निरीक्षक से प्रोन्नति

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<b>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल होंगे :</b>	लागू नहीं होता।
1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल —अध्यक्ष	
2. संबन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल —सदस्य	
3. निदेशक या उप निदेशक चिकित्सा अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय —सदस्य	

[फा. सं. ए-1018/03/2018-एमएच-II]

जी.पी. सामंत, अवर सचिव

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

New Delhi, the 13th August, 2019

**G.S.R.263.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Sanitary Superintendent, Group-‘C’, Safdarjang Hospital, New Delhi Recruitment Rules, 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the said post of Sanitary Superintendent in Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjang Hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjang Hospital, New Delhi, Sanitary Superintendent (Group ‘C’ post) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** —The method of recruitment age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sanitary Superintendent	02* (2019)  *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-5 (29200-92300) in the pay matrix	Non selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Not applicable	By promotion	Promotion from Sanitary inspector of Safdarjung Hospital with five years of regular service in level 4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<b>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</b> 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital -Chairman; 2. Head of the concerned Department, Safdarjung Hospital -Member; 3. Director or Deputy Director Medical Hospital, Directorate General of Health Services -Member .	Not applicable.

[F. No. A-11018/03/2018-MH- II]

G. P. SAMANTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2019

**सा.का.नि.264.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहाँ तक वे स्टीवर्ड के पद से संबन्धित है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया